संख्या-94 जे0एल0/22-3-2025-ई-1923148

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः08-05-2025

विषयः- जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी कृष्णपाल उर्फ गुड्डू पुत्र श्री शीतला बक्श सिंह उर्फ ननकऊ सिंह के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-6881/सामा-1(5)/111/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 21-02-2025 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध निम्न तालिका में बंदी को उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम, जहां स्थानांतरित किया जाना है
1	2	3
सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी कृष्णपाल उर्फ गुड्डू पुत्र श्री शीतला बक्श सिंह उर्फ ननकऊ सिंह (बंदी संख्या-977)	जिला कारागार, प्रतापगढ़	केन्द्रीय कारागार, बरेली

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3-अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4-जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़/बरेली।

5-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

6-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली/अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों के कॉलम-3 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।